भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4724

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

असम में आयुर्वेदिक कॉलेज

4724. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने असम के गोलपाड़ा जिले के दुधनोई में आयुर्वेदिक कॉलेज को कब मंजूरी दी तथा उस समय इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई थी;

(ख) उपर्युक्त आयुर्वेदिक महाविद्यालय के निर्माण कार्य को पूरा करने में हुई भौतिक प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा इसका उद्घाटन कब तक होने की संभावना है;

(ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) और आयुष औषधालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है; और

(घ) वर्ष 2021 से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खोले गए स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) और आयुष औषधालयों की संख्या कितनी है तथा इसके लिए कितनी निधि संवितरित और उपयोग की गई है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय देश में आयुष पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों जिसमें असम सम्मिलित है, के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। एनएएम के तहत, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से असम राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, दिनांक 21.10.2022 को आयोजित एनएएम की मिशन निदेशालय की बैठक के दौरान गोलपाड़ा जिले के दुधनोई में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। चूंकि एनएएम योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, अत: आयुर्वेद कॉलेज के काम को पूरा करने की समय सीमा तय करना संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख): असम राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुर्वेदिक कॉलेज का 8.50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उक्त आयुर्वेदिक कॉलेज के उद्घाटन के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

(ग): एनएएम के तहत, एसएएपी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आयुष औषधालयों/उप-स्वास्थ्य केंद्रों की 808 इकाइयों को आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के रूप में उन्नत करने के लिए सहयोग प्रदान किया गया है, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में जाना जाता है और आयुष औषधालयों की 17 इकाइयों के उन्नयन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। स्वीकृत आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों/आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की राज्य-वार स्थिति **संलग्नक** पर दी गई है।

(घ): चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य कल्याण केंद्र और आयुष औषधालय खोलना संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, एनएएम के तहत एसएएपी के माध्यम से वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की 571 इकाइयों को अनुमति प्रदान की गई है, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में जाना जाता है और इसके लिए 46.87 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है और राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने अब तक 33.60 करोड़ रुपये का उपयोग किया है।

इसी प्रकार, एसएएपी के माध्यम से वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष औषधालयों की 157 इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमति दी गई है और इसके संबंध में 34.22 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने अब तक 3.82 करोड़ रुपये का उपयोग किया है।

*****

संलग्नक

अनुमोदित आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों/आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) तथा आयुष औषधालयों की अद्यतित स्थिति का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित इकाइयां	
		आयुष्मान आरोग्य मंदिर	आयुष औषधालय
1	अरुणाचल प्रदेश	89	-
2	असम	500	-
3	मणिपुर	15	01
4	मेघालय	24	03
5	मिजोरम	41	-
6	नागालैंड	49	05
7	सिक्किम	18	-
8	त्रिपुरा	72	08
कुल		**808**	**17**